



F-07-11
F-07-08

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. 1260 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment Cum Renewal of Type Approval No.1260

मद/Item:- रबड़ कम्पाउंड डीएमएस-एफई-75
Rubber Compound DMS-FE-75

यह घोषित किया जाता है कि डीएमएसआरडीई, कानपुर द्वारा विकसित एवं मेसर्स अलिगा रबड़ वर्क्स, 84/8, फज़ल गंज, कानपुर – 208 012 द्वारा उत्पादित रशियन रबड़ कम्पाउंड आईआरपी-1287, आईआरपी-1144 एवं आईआरपी-1305 के बदले में “रबड़ कम्पाउंड डीएमएस-एफई-75” को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1260, दिनांक 04 अप्रैल 2007 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1260, जारी किया गया था और तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1260/1आर, दिनांक 21 जून 2012 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक था।

This is to state that the “Rubber Compound DMS-FE-75” against Russian Rubber Compound IRP-1287, IRP-1144 & IRP-1305, developed by DMSRDE, Kanpur and manufactured by M/s. Ailga Rubber Works, 84/8, Fazal Ganj, Kanpur – 208 012 was issued with Type Approval No.: 1260, vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1260, Dated: 04th April 2007 and was subsequently Renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1260/1R, Dated: 21st June 2012 and with its validity up to 30th June 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 नवम्बर 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 अक्टूबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (कानपुर), कानपुर -208 008 से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st November 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st October 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Kanpur), Kanpur - 208 008, three (3) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1260 दिनांक 04 अप्रैल 2007 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1260, Dated: 04th April 2007 is Amended as stated herewith.

[अगर इस वर्ग अनुमोदन के टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]


[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.]

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1260/2R
दिनांक/Date : 02 November 2017
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

स. ज. र.


पी जयपाल / P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)